अ०३/ वांग्र

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

क्रमांक / भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/2777 दिनांक 27-7-2021

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो० जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव भेजने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्र क्रमांक / दिनांक 1103/23-X-2020 के अनुसरण में राजस्व वाद सं. 60/2020 निर्णय दि. 22-10-2020 की जारी प्राथमिक डिक्री का बंटवारा प्रस्ताव के लिए पत्रांक / दिनांक 3232/27-10-2020 पटवारी हल्का भावला को जारी किया गया, उक्त आदेश की पालना में दिनांक 16-07-2021 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर इस कार्यालय में जमा हो चुका है,

अत: इस पत्र के संलग्न रा. वा. सं. 60/2020 का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

संलग्न :- प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट - 2 (बंटवारा प्रस्ताव)

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट

xx

आज दिनांक 16/07/2021 को श्रीमान सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के राजस्व वाद क्रमांक 60/2020 व श्रीमान तहसीलदार, जायल के आदेश क्रमांक /भू.अ./(P.D.) 2020/3232 दि. 27/11/2020 की पालना व भू.अ. निरीक्षक के नोटिस क्रमांक 03/ दि. 13/7/21 की पालना में प.स. - भावला के राजस्व ग्राम - फालकी के ख.नं. 23 कि. गै.मु.बाड़ा रकबा 0.1781 है. की प्राथमिक डिक्री हेतु मय पटवारी भावला के साथ मौके पर पहुँचा। पक्षकारान की उपस्थिति में मौके पर भूमि विभाजन का बंटवारा प्रस्ताव मय मौके की स्थिति के अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया जो निम्न प्रकार है:-

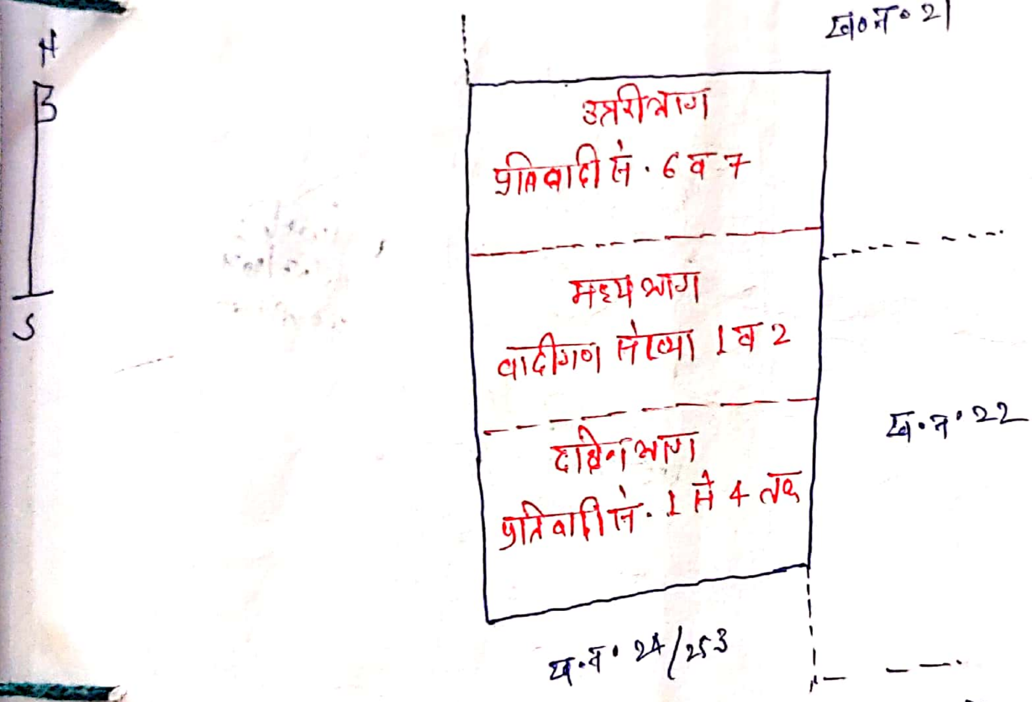

मौके पर भूमि विभाजन का बंटवारा प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

S.No.	खसरा नम्बर	खातेदार	रकबा	लगान	दिशा
1.	23	वादीगण 1 व 2 देवेन्द्रसिंह, बसुकँवर	0.0594	-	मध्य भाग
2.	23	प्रतिवादीगण क्र.सं. 1 से 4 तक थानेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह, मूलसिंह, गजेन्द्रसिंह	0.0594	-	दक्षिण
3.	23	प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 रविन्द्रसिंह, माधरकँवर	0.0593	-	उत्तर

P.T.O.

Scanned with CamScanner

ख०नं० 23 का उत्तरी हिस्सा रकबा 0.0513 में प्रतिवादी रविन्द्रसिंह व नाथ... का चारदीवारी कर काबिज है। मध्य भाग में रकबा 0.0514 में वादी देवेन्द्रसिंह व बसुकंवर व चारदीवारी कर काबिज है। ख०नं० 23 रकबा 0.0594 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण योगेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह, मूलसिंह, गजे... द्वारा रखवाली मकान बना कर काबिज है। ख०नं० 23 में प्रतिवादी क्र. 5, 6, 7 व 10 का मौके पर कब्जा नहीं है।

उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पढ़कर सुनाया व उपस्थित मौजीजान के हस्ताक्षर करवाये गये।

मौका रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान की सेवा में पेश है।

गजेन्द्र सिंह

योगेन्द्र सिंह

जोरावर

बसु कंवर

अनोप कंवर

सायर कंवर

कानूनगो

16-7-2021

16/07/21

प० आवला

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 60/2020

वादीगण –

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र व्यस्क
2. बसुकवंर पत्नि भंवरसिंह उम्र व्यस्क
   जातियान–राजपूत निवासीगण–कालवी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. योगेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र वयस्क
2. अर्जुनसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र वयस्क
3. मूलसिंह पुत्र भंवरसिह उम्र वयस्क
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र वयस्क
5. गुलाबसिंह पुत्र हुकमसिंह उम्र वयस्क
6. रविन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह उम्र वयस्क
7. सायरकवंर पत्नि नारायणसिंह उम्र वयस्क
8. जोरसिंह पुत्र रूपसिंह उम्र वयस्क
9. भैरूसिंह पुत्र रूपसिंह उम्र वयस्क
10. अनोप कवंर पत्नि रूपसिंह वयस्क
    जातियान–राजपूत निवासीगण–कालवी तहसील–जायल (नागौर)
11. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काष्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्यां 1 से 10
3. प्रतिवादी संख्या 11 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 04/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की पुश्तैनी बडेर की भूमि गैर मुमकिन बाड़ा खसरा नं. 23 रकबा 0.1781 हैक्टेयर के रूप में ग्राम कालवी तहसील जायल(नागौर) में स्थित है। वादी संख्या 2 वाद संख्या 1 की माता है, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 आपस में सगे भाई है। इसी प्रकार प्रतिवादी

04/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

संख्या 5 इनके काका है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 स्व. नारायणसिंह के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 10 श्री रूपसिंह के वारिसान है। सभी पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है जो आपस में भाई बंध है। खतौनी में दर्ज खातेदार उच्छबकवंर दरियावकवंर, तथा सुप्यार कवंर का देहान्त हो चुका है जिनके पिछे उनके विधिक वारिसान को पक्षकारान बनाया गया है। पक्षकारान के पूर्वजो द्वारा संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों का बरसो पहले विभाजन कर लिया था परन्तु मुतदाविया भूमि गैर मुमकिन बाड़ा खसरा नं. 23 की भूमि को शामलाती ही काम में लेते रहे इसलिए इनका विभाजन नहीं किया गया। परन्तु विगत कुछ सालो में पक्षकारों ने इस बाड़े की भूमि का भी मौके पर विभाजन क लिया तथा अलग-2 दीवारें तथा बाड़ को वाद में वर्णित बंटवारा स्कीम पैरा संख्या 5-(1,2)(1 से 6) के नक्शानुसार उपयोग में ले रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से वकील श्री इस्लामुदीन काजी ने दिनांक 07.09.2020 को वकालात नामा पेश किया तथा जवाब पेश नहीं करने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 11 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 द्वारा प्रकरण के संबंध में जवाब पेश करने तथा प्रतिवादी संख्या 11 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम ग्राम रूपाथल तहसील जायल सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 180/149 प्रदर्श-1 पेश की। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 10 द्वारा पत्रावली में साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने का निवेदन किया। प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जावे। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 द्वारा वादपत्र को स्वीकार किये जाने तथा माफिक वाद डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

04/8/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना होता है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खेताय के समस्त खातेदार काश्तकार पक्षकार के रूप में संयोजित है तथा जमाबंदी में वादग्रस्त खेताय की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा भी अंकीत है। जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। वादपत्र के खण्डन के संबंध में वकील प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश किया है तथा न ही किसी प्रकार की साक्ष्य/दस्तावेज पेश की है कवेल मात्र दौराने बहस वादपत्र को माफिक वाद बंटवारा स्कीम के अनुसार स्वीकार किये जाने में सहमति जाहिर की।

चूंकि वादग्रस्त खेताय में मौजा कालवी के खसरा नं. 23 की भूमि का वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 7 मध्य खातेदारी में ही घोषित किये जाने तथा इन्ही पक्षकारान के मध्य वादपत्र के पैरा संख्या 5 के अनुसार विभाजन किये जाने की इस्तदुआ वादपत्र में चाही गई। साथ ही हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के अधिवक्ता द्वारा न तो जवाब दावा पेश किया तथा न ही साक्ष्य प्रतिवादी पेश किये है साथ ही वकील प्रतिवादीगण द्वारा केवल दौराने बहस माफिक वाद डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की है। अतः वादग्रस्त खेतायो में खसरा नं. 23 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का पूर्णरूपेण बंटवाड़ा नहीं चाहकर प्रतिवादी संख्या 5 व 8 से 10 का मुतदाविया भूमि में हिस्सा नहीं रखते हुये केवल वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तथा 6 व 7 के मध्य में ही स्थान विशेष की भूमि का बंटवारा व खातेदारी घोषणा चाही गयी है। जिसपर वादीगण के वाद पत्र को आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये।

तहसीलदार जायल ने प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2777/ 27.07.2021 के प्राप्त हुई जिसमें पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है जिससे बंटवारा प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति में बनाये जाने की ताईद होती है। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5, 7 से 10 के हक बंट में मुतदाविया खेताय की भूमि में से कोई हक हिस्सा नहीं रखा है तथा वाद पत्र में भी इन पक्षकारान के आबादी में भूमि रखे जाने का उल्लेख किया है परन्तु कोई विधिक दस्तावेज पेश नही किया है। जिससे मामला भूमि अन्तरण का भी होना प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान उक्त बंटवारे से सहमत है। वकील वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने माफिक बंटवारा प्रस्ताव वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः हम वादीगण के वाद को माफिक प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

04/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

–: : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 माफिक प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव तहसीलदार जायल के अनुसार स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादीगण देवेन्द्रसिह, बसुकवंर के हक बंट में ग्राम कालवी तहसील जायल के खसरा नं. 23 में से रकबा 0.0594 मध्य भाग माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 योगेन्द्रसिंह, अर्जूनसिंह, मूलसिंह, गजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कालवी के खसरा नं. 23 में से रकबा 0.0594 हैक्टैयर दक्षिण भाग माफिक नजरी नक्शानुसारघोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 रविन्द्रसिंह, सायरकवंर के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कालवी के खसरा नं. 23 में से रकबा 0.0593 हैक्टेयर उतरी भाग माफि नजरीनक्शानुसार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 5, 5, 8 से 10 के हक बंट में किसी प्रकार का हक हिस्सा मुतदाविया खेतायों में नहीं रखा है, इसलिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर तहसीलदार जायल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 04/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 60/2020

वादीगण –
1. देवेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र व्यस्क
2. बसुकवंर पत्नि भंवरसिंह उम्र व्यस्क जातियान–राजपूत निवासीगण–कालवी, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. योगेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र वयस्क
2. अर्जुनसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र वयस्क
3. मूलसिंह पुत्र भंवरसिह उम्र वयस्क
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र वयस्क
5. गुलाबसिंह पुत्र हुकमसिंह उम्र वयस्क
6. रविन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह उम्र वयस्क
7. सायरकवंर पत्नि नारायणसिंह उम्र वयस्क
8. जोरसिंह पुत्र रूपसिंह उम्र वयस्क
9. भैरूसिंह पुत्र रूपसिंह उम्र वयस्क
10. अनोप कवंर पत्नि रूपसिंह वयस्क
जातियान–राजपूत निवासीगण कालवी तहसील जायल(नागौर)
11. तहसीलदार जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काष्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–
1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 10
3. प्रतिवादी संख्या 11 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

– : : अन्तिम डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 10 हाजरी श्री इस्लामुदीन काजी वादी संख्या 11 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादीगण देवेन्द्रसिह, बसुकवंर के हक बंट में ग्राम क़ालवी तहसील जायल के खसरा नं. 23 में से रकबा 0.0594 मध्य भाग माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 योगेन्द्रसिंह, अर्जूनसिंह, मूलसिंह, गजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कालवी के खसरा नं. 23 में से रकबा 0.0594 हैक्टैयर दक्षिण भाग माफिक नजरी नक्शानुसारघोषित किया जाता है।

04/8/2021
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 60/2020
देवेन्द्रसिंह बनाम योगेन्द्र वगैरह

3. प्रतिवादी संख्या 6 व 7 रविन्द्रसिंह, सायरकवंर के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कालवी के खसरा नं. 23 में से रकबा 0.0593 हैक्टेयर उतरी भाग माफि नजरीनक्शानुसार घोषित किया जाता है।

4. प्रतिवादी संख्या 5, 5, 8 से 10 के हक बंट में किसी प्रकार का हक हिस्सा मुतदाविया खेतायों में नहीं रखा है, इसलिए नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराये जाने पर तहसीलदार जायल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

04/8/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।

बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/8/2024 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिय दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

04/8/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner